तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2024	पत्रावली रीगद से अनडेटेड मिली जिसको आज तारीख पेशी में ली गई। विपक्षी अनुपस्थित। तहसीलदार डूंगला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार डूंगला रिपोर्ट प्रेषितकर अंकित किया गया कि ग्राम कटेरा के खाता संख्या 229, एवं 230, 231, 232 में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाबालिग पप्पु पुत्र लालुराम के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम कटेरा में प्रार्थी को पप्पु एव दुर्गाशंकर दोनो नामो से जाना पुकारा जाता है। वर्तमान में प्रार्थी बालिग होकर अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, शैक्षणिक अंकतालिका में दुर्गाशंकर नाम दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में पप्पु दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों के नाम में भिन्नता होने से शुद्ध पप्पु के बजाय दुर्गाशंकर करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकार्ड का एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर परीक्षण किया गया अवलोकन परीक्षण उपरान्त प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है। इसलिए प्रार्थी का शुद्ध नाम दुर्गाशंकर होने से राजस्व रेकार्ड में पप्पु के बजाय दुर्गाशंकर किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा कटेरा के खाता संख्या 229, 230, 231, व 232 में वर्णित नाबालिग पप्पु पुत्र लालुराम के बजाय दुर्गाशंकर पुत्र लालुराम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.11.28 14:56:44 IST
Reason: SelfAttested

4 /

सेवामें,

श्रीम

दुर्गाशंकर पिता लालुराम
चितौड़गढ़ राज.

श्री राजस्थान राज्य जरि

महोदय,

प्रार्थी की और से

1. यह कि प्रार्थी
फलोदड़ा मे पुश्तैनी कृषि

2. यह कि प्रार्थी को
तथा उसके दोनो नाम
दुर्गाशंकर दर्ज हो गया
खाता सं. 218 मे दर्ज
कुल किता 1 कुल रक
1.6200 हे. मे प्रार्थी क
भामाशाह दुर्गाशंकर के
खातेदारी मे लगे हुये
दुर्गाशंकर लगवाना चा

3. यह कि कटेर
अलग अलग व्यक्ति
नाम परिवर्तन से किस
किसी कारण नाम प
जावें ।

4. यह कि प्रार्थ

5. यह कि त
कोर्ट से आदेश ला
आदेशित किया जावे

दिनांक :– 09 / 09 / 2020

Scanned with OKEN Scanner